"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ ग. नट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 2] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 10 जनवरी 2014—पौष 20, शक 1935

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 नवम्बर 2013

क्रमांक 1114/817/अव./2013/1-8/स्था.—श्रीमती रेजीना टोप्पो, उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग को दिनांक 25-11-2013 से 07-12-2013 तक 13 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है तथा दिनांक 24-11-2013 एवं 08-12-2013 के शासकीय अवकाश को जोड़ने अनुमति प्रदान की जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्रीमती टोप्पो, आगामी आदेश तक उप सचिव, ग्रामोद्योग विभाग के पद पर पुनः पदस्थ होंगे.

3. अवकाश अवधि में श्रीमती टोप्पो को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती टोप्पो अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
तीरथ प्रसाद लड़िया, अवर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.

गृह (पुलिस) विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक 2292/1801/दो-गृह/भापुसे/2013.—राज्य शासन एतद्द्वारा श्री के. सी. अग्रवाल, भा.पु.से., सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (सुरक्षा) पु.मु. रायपुर को दिनांक 16-12-2013 से 31-12-2013 तक (कुल 16 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 15-12-2013 के विज्ञप्त शासकीय अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

2. श्री अग्रवाल, को उक्त अवकाश अवधि में वही वेतन एवं भत्ते देय होंगे जो उन्हें अवकाश पर प्रस्थान करने के पूर्व प्राप्त हो रहे थे.

3. अवकाश से लौटने पर श्री के. सी. अग्रवाल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (सुरक्षा) पु.मु., रायपुर के पद पर पदस्थ होंगे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री के. सी. अग्रवाल, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (सुरक्षा) पु.मु., रायपुर अवकाश पर नहीं जाते तो पद पर बने रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुनील विजयवर्गीय, अवर सचिव.

वित्त विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक F 1-30/2013/स्था./चार.—चिट फंड अधिनियम, 1982 (1982 का सं. 40) की धारा 61 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा अधिसूचना क्र. एफ-18 (सी) 44/नि. 3/चार/89/भोपाल, दिनांक 14 अक्टूबर 1987 को अतिष्ठित करते हुए, छत्तीसगढ़ शासन, एतद्द्वारा, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नाम के सामने उपदर्शित पदों के कर्तव्यों का निर्वहन करने हेतु नियुक्त करता है, अर्थात् :—

1.	आयुक्त/संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़	—	रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स, छत्तीसगढ़
2.	समस्त जिले के कलेक्टर, छत्तीसगढ़	—	एडिशनल रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स, छत्तीसगढ़
3.	समस्त संभागीय संयुक्त संचालक, कोष लेखा एवं पेंशन, छत्तीसगढ़.	—	ज्वाइंट रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स, छत्तीसगढ़ (संबंधित संभाग)
4.	समस्त जिला कोषालय अधिकारी, छत्तीसगढ़.	—	असिस्टेंट रजिस्ट्रार ऑफ चिट्स, छत्तीसगढ़ (संबंधित जिला)

टीप :— इस तरह की नियुक्ति में, उपरोक्त उल्लिखित अधिकारियों को, वेतन में कोई वृद्धि या विशेष वेतन की पात्रता नहीं होगी.

No. F 1-30/2013/Est/Four.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 61 of the Chit Fund Act, 1982 (No. 40 of 1982) and in supersession of Notification No. F-18 (C) 44/Ni. 3/four 89/Bhopal dated

14th October, 1987 the Government of Chhattisgarh, hereby, appoints the following officers to discharge such duties, indicated against them, namely :—

1.	Commissioner/Director, Treasury Accounts and Pension Chhattisgarh.	—	Reigstrar of Chits, Chhattisgarh
2.	All District Collector, Chhattisgarh	—	Additional Registrar of Chits, Chhattisgarh
3.	All Divisional Joint Directors, Treasury Accounts and Pension, Chhattisgarh.	—	Joint Registrar of Chits, Chhattisgarh
4.	All District Teasury Officers, Chhattisgarh	—	Assistant Registrar of Chits, Chhattisgarh

Note : Such appointment shall not entitle the above mentioned officers to any increase in pay or any special pay.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सी. जे. खत्री, संयुक्त सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-12/2013/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 24-8-2013 द्वारा कोरबा विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

कोरबा विकास योजना में उपान्तरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चोरभट्टी प.ह.नं. 12 तहसील कटघोरा	458	5.310 हेक्टेयर में से 10.00 एकड़	वृक्षारोपण	शैक्षणिक

2. उक्त उपांतरण केन्द्रीय विद्यालय बी.सी.पी.पी. क्रमांक-4 को शैक्षणिक के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-41/2012/32.—राज्य शासन एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23-क की उप धारा (2) के अंतर्गत इस विभाग की समसंख्यक सूचना दिनांक 19-8-2013 द्वारा कोरबा विकास योजना में लोक प्रयोजनार्थ

निम्नानुसार भूमि का उपांतरण प्रस्तावित करते हुये दो प्रमुख दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों में लगातार दो दिन प्रकाशित की गई थी :—

कोरबा विकास योजना में उपान्तरण

क्र.	ग्राम का नाम	खसरा क्र.	रकबा (एकड़ में)	विकास योजना अंगीकृत प्रस्ताव	अधिनियम की धारा 23 "क" के तहत उपांतरण के प्रस्ताव
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	चोरभट्टी प.ह.नं. 12 तहसील कटघोरा	460/1 460/3	9.46 एकड़	वृक्षारोपण एवं कृषि	शैक्षणिक (आई.टी.आई.)

2. उक्त उपांतरण शैक्षणिक (आई.टी.आई.) के प्रयोजन के लिए है.

3. सूचना में उल्लेखित निश्चित् समयावधि में कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है.

4. अत: राज्य शासन एतद्द्वारा कोरबा विकास योजना में उपरोक्त उपांतरण की पुष्टि करता है. उक्त उपांतरण कोरबा विकास योजना का अंगीकृत भाग होगा.

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-35/2010/32.—श्री सुभाष राव, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर द्वारा अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दिये जाने के कारण अध्यक्ष का पद रिक्त होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल अधिनियम, 1972 की धारा-4 के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एन. बैजेन्द्र कुमार (भा.प्र.से.), प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री एवं प्रमुख सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास, पर्यावरण, वन, वाणिज्य एवं उद्योग विभाग तथा अध्यक्ष, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर को, अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, रायपुर भी नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमित कटारिया, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-02/2011/32.—श्री सुनील सोनी, अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर द्वारा अध्यक्ष के पद से त्याग पत्र दिये जाने के कारण अध्यक्ष का पद रिक्त होने के फलस्वरूप छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा-40 के खण्ड (क) के अंतर्गत राज्य शासन एतद्द्वारा श्री एस. एस. बजाज (भा.व.से.), संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, उपाध्यक्ष, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथारिटी, रायपुर एवं सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग को, अपने वर्तमान कार्य के साथ-साथ अस्थाई रूप से, आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, रायपुर विकास प्राधिकरण, रायपुर भी नियुक्त किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. एल. सांकला, अवर सचिव.

वन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-7/2001/10-2.—भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 का 16) की धारा 41 एवं धारा 42 सहपठित धारा 76 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ अभिवहन (वनोपज) नियम, 2001 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :—

संशोधान

उक्त नियमों में,—

(एक) नियम 4 के उप-नियम (ख) के खंड 1 के सरल क्रमांक (सात) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाए, अर्थात् :—

"(आठ) नीलगिरी-यूकेलिप्टस प्रजाति"

(दो) नियम 4 के उप-नियम (ख) के खंड 2 के उप-खण्ड (क) के सरल क्रमांक (आठ) को विलोपित किया जाए.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 5 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-7/2001/10-2.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में वन विभाग की अधिसूचना क्र. एफ 7-7/2001/10-2, दिनांक 5-12-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल कुमार साहू, विशेष सचिव.

Raipur, the 5th December 2013

No. F 7-7/2001/10-2.—In exercise of the powers conferred by Section 41 and Section 42 read with Section 76 of the Indian Forest Act, 1927 (No. 16 of 1927), the State Government hereby makes the following amendments in the Chhattisgarh Transit (Forest Produce) Rules, 2001, namely :—

AMENDMENT

In the said rules,—

(I) After serial number (vii) of the clause 1 of sub-rule (B) of rule 4, the following shall be added, namely :—

"(viii) Nilgiri-Eucalyptus species"

(II) Serial number (viii) of sub-clause (a) of clause 2 of sub-rule (B) of rule 4 shall be deleted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
ANIL KUMAR SAHU, Special Secretary.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्रमांक/एफ-19-6/2012/25-2.—छत्तीसगढ़ शासन, आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-19-6/2012/25-2 दिनांक 9-11-2012 द्वारा श्री जे. सी. मेश्राम, सेवानिवृत्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला अंत्यावसायी, राजनांदगांव को छ.ग. राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम, रायपुर के उपाध्यक्ष पद पर आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया गया था.

शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उक्त पद पर श्री जे. एस. मेश्राम की, की गई नियुक्ति एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाकर उक्त पद को रिक्त घोषित किया जाता है. तात्कालिक रूप से उपाध्यक्ष का प्रभार विभाग के सचिव को सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप-सचिव.

श्रम विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्रमांक F 10-15/2013/16.—छत्तीसगढ़ औद्योगिक संबंध अधिनियम, 1960 (1960 का 27वां) की धारा 8 की उपधारा (1) एवं (2) के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए तथा उक्त विषय में पूर्व में जारी सभी अधिसूचनाओं को निष्प्रभावी करते हुए राज्य शासन एतद्द्वारा :—

1. परिशिष्ट के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालयों का उनके स्थानीय क्षेत्राधिकार को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट करते हुए निर्मित करती है, और

2. उक्त परिशिष्ट के कॉलम (2) में दर्शाये व्यक्तियों को कॉलम नं. (1) में विनिर्दिष्ट श्रम न्यायालयों हेतु पीठासीन अधिकारी एतद्द्वारा नियुक्त करती है :—

परिशिष्ट

श्रम न्यायालय का नाम (1)	पीठासीन अधिकारी का नाम (2)	स्थानीय क्षेत्राधिकार (3)
01. श्रम न्यायालय क्रमांक-01, रायपुर	श्री एस. के. त्रिपाठी	राजस्व जिला-रायपुर, रायपुर नगर निगम सीमा, नगर पालिका बीरगांव सीमा क्षेत्र एवं रायपुर के धरसीवां विकासखंड क्षेत्र.
02. श्रम न्यायालय क्रमांक-02, रायपुर	श्री एस. के. त्रिपाठी	राजस्व जिला-रायपुर, श्रम न्यायालय क्रमांक-01 के क्षेत्राधिकार को छोड़कर शेष रायपुर राजस्व जिला एवं गरियाबंद.
03. श्रम न्यायालय बिलासपुर	श्री ए. के. चौकसे	राजस्व जिला-बिलासपुर एवं मुंगेली
04. श्रम न्यायालय, दुर्ग	श्री एस. एल. मात्रे	राजस्व जिला-दुर्ग, बालोद व बेमेतरा

(1)	(2)	(3)
05. श्रम न्यायालय, राजनांदगांव	श्री ए. के. सनोठिया	राजस्व जिला-राजनांदगांव, कबीरधाम (कवर्धा)
06. श्रम न्यायालय, रायगढ़	श्री पी. के. सोनी	राजस्व जिला-रायगढ़ व जशपुर
07. श्रम न्यायालय, कोरबा	श्री पी. के. सोनी	राजस्व जिला-कोरबा
08. श्रम न्यायालय, जगदलपुर	श्री एस. एल. मात्रे	राजस्व जिला-बस्तर, दक्षिण बस्तर (दंतेवाड़ा) कोण्डागांव, नारायणपुर, बीजापुर, सुकमा.
09. श्रम न्यायालय, जांजगीर-चांपा	श्रीमती शशि सोनी	राजस्व जिला-जांजगीर-चांपा
10. श्रम न्यायालय, अंबिकापुर	श्री ए. के. चौकसे	राजस्व जिला-सरगुजा, बलरामपुर, सूरजपुर
11. श्रम न्यायालय, मनेन्द्रगढ़	श्री ए. के. चौकसे	राजस्व जिला-कोरिया
12. श्रम न्यायालय, बलौदाबाजार	श्रीमती शशि सोनी	राजस्व जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
13. श्रम न्यायालय, महासमुंद	श्री ए. के. सनोठिया	राजस्व जिला-महासमुंद
14. श्रम न्यायालय, धमतरी	श्री ए. के. सनोठिया	राजस्व जिला-धमतरी, उत्तर बस्तर (कांकेर)

No. F 10-15/13/16.—In exercise of the powers conferred by sub sections (1) and (2) of section 8 of the Chhattisgarh Industrial Relations Act, 1960 (No. 27 of 1960) an in supersession of all previous notifications issued on the subjects, the State Government hereby :—

(1) Constitutes the Labour Courts specified in column (1) of the Table below having jurisdiction in the Local areas specified in the corresponding entries in column (3) thereof, and

(2) Appoints the persons mentioned in column (2) of the said Table as the presiding officers of the Labour Courts specified in the corresponding entry in column (1) thereof :—

Name of the labour Court (1)	Name of the Presiding officer (2)	Local areas (3)
1. Labour Court, No. 1 Raipur	Shri S. K. Tripathi	Territorial jurisdiction of Municipal Corporation Raipur, Municipal Council Birgaon & Block Dharsivan of Raipur Revenue District.
2. Labour Court No. 2 Raipur	Shri S. K. Tripathi	Rest of Revenue District Raipur excluding jurisdiction of Labour Court No. 1 Raipur and Revenue District Gariyaband.
3. Labour Court Bilaspur	Shri A. K. Chouksey	Revenue District-Bilaspur & Mungeli
4. Labour Court Durg	Shri S. L. Matre	Revenue District-Durg, Blaod & Bemetara

(1)	(2)	(3)
5. Labour Court Rajnandgaon	Shri A. K. Sanothiya	Revenue District-Rajnangaon and Kabirdham (Kawardha)
6. Labour Court Raigarh	Shri P. K. Soni	Revenue Distrcit-Raigarh & Jaspur
7. Labour Court Korba	Shri P. K. Soni	Revenue District-Korba
8. Labour Court Jagdalpur	Shri S. L. Matre	Revenue District-Bastar, South Bastar (Dantewada), Kondagaon, Narayanpur, Bijapur, Sukama.
9. Labour Court Janjgir-Champa	Smt. Shashi Soni	Revenue District-Janjgir-Champa
10. Labour Court, Ambikapur	Smt. A. K. Chouksey	Revenue District-Sarguja, Balrampur Surajpur.
11. Labour Court Manandragarh	Shri A. K. Chouksey	Revenue District-Koria
12. Labour Court Balodabazar	Smt. Shashi Soni	Revenue District-Balodabazar-Bhatapara
13. Labour Court Mahasamund	Shri A. K. Sanothiya	Revenue District-Mahasamund
14. Labour Court, Dhamtari	Shri A. K. Sanothiya	Revenue Distrcit-Dhamtari & North Bastar (Kanker)

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
जी. आर. मालवीय, उप-सचिव.

महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

संशोधित अधिसूचना

क्रमांक एफ 11-3/2013/मबावि/50.—राज्य शासन एतद्द्वारा किशोर न्याय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 यथा संशोधित अधिनियम, 2006 की धारा 4 की उपधारा (1) एवं (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए कॉलम 04 में दर्शित प्रथम श्रेणी न्यायिक दण्डाधिकारी/प्रधान मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष के रूप में अधिसूचित करते हुए कॉलम 02 एवं 03 में दर्शाये अनुसार क्षेत्र हेतु किशोर न्याय बोर्ड का निम्नानुसार पुनर्गठन करता है :—

क्र.	किशोर न्याय बोर्ड	क्षेत्र/सम्मिलित जिले	किशोर न्याय बोर्ड के अध्यक्ष (प्रधान न्यायाधीश) का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	अंबिकापुर (सरगुजा)	सरगुजा, सूरजपुर एवं बलरामपुर	श्री आनंद प्रकाश वारियल, प्रधान न्यायाधीश, अंबिकापुर.

No. F 11-3/2013/MBV/50.—In exercise of the powers conferred by sub section (1) and (2) of section 4 of the Juvenile Justice (Ca e and Protection of Children) Act, 2000 as ammended 2006, the State Government hereby reconstitutes the juvenile justice Boards by notifying Cheif Judicial Magistrate/First Class Judicial Magistrate in the column No. 4 as Chairperson for the area mentioned in the column No. 2 and 3 as follows :—.

No.	Name of the Juvenile Justice Board	Area/Dist.	Name of the Chairman (Principal Magistrate) of the Juvenile Justice Board
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Ambikapur (Sarguja)	Sarguja, Surajpur and Balrampur	Shri Anand Prakash Variyal, Pradhan Chief Judicial Magistrate, Ambikapur.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुब्रत साहू, सचिव.

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 6-106/2001/वाक (आब.)/पांच.—छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-106/2001/वाक (आब.)/पांच, दिनांक 20-07-2012 द्वारा श्री प्रबोध मिंज, महापौर, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के सदस्य पद पर आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया गया था.

2. शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उक्त पद पर श्री प्रबोध मिंज, महापौर, नगर पालिक निगम, अंबिकापुर, जिला-सरगुजा की गयी नियुक्ति एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाकर उक्त पद को रिक्त घोषित किया जाता है. तात्कालिक रूप से प्रभार विभाग के सचिव को सौंपा जाता है.

रायपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 6-106/2001/वाक (आब.)/पांच.—छत्तीसगढ़ शासन के वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग के आदेश क्रमांक एफ 6-106/2001/वाक (आब.)/पांच, दिनांक 20-07-2012 द्वारा श्री दिनेश गांधी, अध्यक्ष, जिला पंचायत, राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ स्टेट बेवरेजेस कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के सदस्य पद पर आगामी आदेश पर्यन्त नियुक्त किया गया था.

2. शासन द्वारा लिये गये निर्णय अनुसार उक्त पद पर श्री दिनेश गांधी, अध्यक्ष, जिला पंचायत, राजनांदगांव की गयी नियुक्ति एतद्द्वारा तत्काल प्रभाव से निरस्त की जाकर उक्त पद को रिक्त घोषित किया जाता है. तात्कालिक रूप से प्रभार विभाग के सचिव को सौंपा जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

खनिज साधन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 7-14/2013/12.—राज्य शासन एतद्द्वारा चीफ कंट्रोलर ऑफ माइन्स भारतीय खान ब्यूरो, नागपुर के परिपत्र क्रमांक 2/2010, दिनांक 06-04-2010 के पैरा-2 के बिन्दु-2 के तारतम्य में Differential Global Positioning System (डिजीपीएस) का उपयोग करते हुए सर्वेक्षण करने के लिए तालिका के कालम 2 में दर्शित संस्थान को कालम 3 में दर्शित खनिज से संबंधित खनिज रियायतों के लिए अधिमान्यता प्रदान करता है :—

क्रमांक (1)	संस्थान का नाम एवं पता (2)	अधिमान्यता का विवरण (3)
1.	सेन्ट्रल माईन प्लानिंग एण्ड डिजाईनिंग इंस्टीट्यूट गोण्डवाना प्लेस, कॉंके रोड़, रांची-834031 (झारखण्ड)	खनिज कोयला की खनिज रियायतों से संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य.
2.	नेशनल मिनरल डेव्हलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, खनिज भवन 10-3-311/ए, मासाब टैंक, कैसल हिल्स, हैदराबाद (आंध्रप्रदेश)	खनिज कोयला को छोड़कर अन्य खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य.
3.	मौलाना आजाद राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भोपाल-462051 (मध्यप्रदेश)	खनिज कोयला को छोड़कर अन्य खनिजों की खनिज रियायतों से संबंधित डीजीपीएस सर्वे कार्य.

2. अधिमान्यता प्राप्त संस्थान के लिए शर्तें—

2.1 खनिपट्टा/पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति क्षेत्रों के प्रत्येक सीमा स्तम्भों का डीजीपीएस सर्वे के माध्यम से कम से कम 2 घंटे का आब्जर्वेशन कर स्थल पर सीमा स्तम्भों की स्थिति निर्धारण हेतु को-आर्डिनेट्स ज्ञात करना.

2.2 उपरोक्त बिन्दु 2.1 में दर्शित कार्य के लिए खनिज रियायतधारी द्वारा अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को भुगतान करना होगा. डीजीपीएस सर्वे कार्य हेतु पारिश्रमिक का निर्धारण अधिमान्यता प्राप्त संस्थान एवं खनिज रियायतधारी के मध्य आपसी समन्वय से किया जाएगा.

2.3 डीजीपीएस सर्वे के संबंध में इण्डियन ब्यूरो ऑफ माइन्स/राज्य शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन अधिमान्यता प्राप्त संस्थान को करना होगा.

3. यह अधिमान्यता इस आदेश के जारी होने से आगामी आदेश पर्यन्त प्रभावशील होगी.

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक 1-17/2011/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ भौमिकी तथा खनिकर्म, तृतीय श्रेणी (लिपिक वर्गीय तथा अलिपिक वर्गीय) सेवा भरती नियम, 2008 में

निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में,—

(1) अनुसूची-एक के सरल क्र. 26 के कॉलम 5 में, अंक एवं हाइफन "3500-80-4700-100-5200" के पश्चात्, निम्नलिखित अन्तःस्थापित किया जाये, अर्थात् :—

"मैकेनिक (मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर एवं ड्रिलमेन), जिन्होंने संबंधित ट्रेड में दो वर्ष की कालावधि के लिये प्रशिक्षण प्राप्त किया हो, को दिनांक 01-04-2006 से वेतनमान 4000-6000 देय होगा"

(2) अनुसूची-एक के सरल क्र. 33 के कॉलम 5 में, अंक एवं हाइफन "3050-75-3950-80-4590" के स्थान पर, अंक, हाइफन एवं शब्द "दिनांक 01-04-2006 से वेतनमान 4000-6000 देय होगा" प्रतिस्थापित किया जाये.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 1-17/2011/12.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 28-12-2013 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा, प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. डी. कुंजाम, उप-सचिव.

Naya Raipur, the 28th December 2013

No. F 1-17/2011/XII.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Geology and Mining, Class-III (Ministerial and Non-Ministerial) Service Recruitment Rules, 2008, namely :—

AMENDMENT

In the said Rules,—

(1) In column 5 of serial No. 26 of Schedule-I, after numbers and hyphen "3500-80-4700-100-5200", the following shall be inserted, namely :—

"Mechanic (Mechanic, Turner, Welder & Drill man) who have received training for a period of two years in concerned trade shall be paid 4000-6000 Pay Scale from 01-04-2006."

(2) In column 5 of serial No. 33 of Schedule-I, for the numbers and hyphen "3050-75-3950-80-4590", the numbers hyphen and words "4000-6000 shall be payable with effect from 01-04-2006" shall be substituted.

By order and in the name of the Governor of Chhattisagrh,
K. D. KUNJAM, Deputy Secretary.

वाणिज्य एवं उद्योग विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 3 अक्टूबर 2013

क्रमांक एफ 20-47/2013/ग्यारह/(छै:).—चूंकि राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि जनहित में ऐसा किया जाना आवश्यक है.

अत: छत्तीसगढ़ उद्योग (शेड, प्लांट भूमि आवंटन नियम) 1974 यथासंशोधित की कंडिका क्रमांक-19 अंतरण में संशोधन किया जाये अर्थात् :—

संशोधन

छत्तीसगढ़ उद्योग (शेड, प्लांट भूमि आवंटन नियम) 1974 यथासंशोधित की कंडिका क्रमांक-19 अंतरण में निम्नानुसार जोड़ा जाय :—

(iv) पति/पत्नि एवं रक्त संबंधियों को हस्तांतरण/अंतरण

(क) मूल आवंटी/मूल आवंटियों के पति/पत्नि एवं रक्त संबंधियों माता-पिता/पुत्र-पुत्री/भाई-बहन/पोता-पोती को आवंटित भूमि, शेड-भवन की लीज हस्तांतरित किये जाने पर हस्तांतरण के समय केवल रु. 10,000 (रुपये दस हजार) हस्तांतरण शुल्क के रूप में देय होगा परंतु आवंटन के समय प्रस्तुत परियोजना प्रतिवेदन के अनुसार कार्यवाही पूर्ण न होने पर यह सुविधा प्राप्त नहीं होगी.

यह भी कि, उक्तानुसार हस्तांतरण की अनुमति मूल आवंटी/मूल आवंटियों द्वारा शपथ-पत्र के रूप में दिये गये नामांकन के आधार पर दी जा सकेगी.

(ख) मूल आवंटी की मृत्यु उपरांत आवंटित भूमि/शेड-भवन के हस्तांतरण के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार अनुमति जारी करने के पूर्व मूल आवंटी/मूल आवंटियों के नामांकित उत्तराधिकारियों को आपत्ति/सहमति देने बाबत् सूचना दी जायेगी तथा सहमति अनुसार अनुमति जारी की जायेगी. दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों में सूचना प्रकाशित की जावेगी, निर्धारित न्यूनतम 30 दिवस में आपत्ति न आने पर आवंटी अधिकारी द्वारा हस्तांतरण की प्रक्रिया प्रारंभ की जावेगी एवं कुल 45 दिवस उपरांत आदेश पारित किया जा सकेगा. न्यायालयीन वाद की स्थिति में सक्षम न्यायालय के निर्णयानुसार भू-हस्तांतरण की अनुमति दी जावेगी.

(ग) हस्तांतरण की अनुमति उपरांत मूल निष्पादित पट्टाभिलेखों के संबंध में हस्तांतरण लीजडीड निष्पादित की जावेगी तथा तत्कालीन प्रचलित भू-प्रब्याजि की दर पर भू-भाटक निर्धारित किया जाकर उसकी प्रविष्टि एवं बढ़े हुए भू-भाटक के प्रभावी होने की तिथि हस्तांतरण से संबंधित पट्टाभिलेख में अंकित की जावेगी. यह संशोधित पट्टाभिलेख मूल पट्टाभिलेखों के अनुक्रम में जारी होगा अर्थात् मूल पट्टाविलेख में वर्णित अवधि में से शेष बची हुई अवधि के लिए ही यह संशोधन मान्य होगा. हस्तांतरण से संबंधित अभिलेखों में हस्तांतरण रक्त संबंधी होने की कंडिका अंकित की जाएगी.

छत्तीसगढ़ उद्योग (शेड, प्लांटभूमि आवंटन नियम) 1974 यथासंशोधित में उक्त संशोधन इसके छत्तीसगढ़ राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से प्रभावशील होगा.

मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना–2013

रायपुर, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक एफ 20–40/2013/ग्यारह/(छैः).— राज्य के युवाओं को स्व–उद्यम की स्थापना कर आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी एवं आत्मनिर्भर बनाने के लिये राज्य शासन एतद् द्वारा मुख्यमंत्री युवा स्व–रोजगार योजना घोषित करता है ।

1– पृष्ठभूमि : राज्य में आर्थिक एवं सामाजिक समृद्धि हेतु यह आवश्यक है कि राज्य का युवा वर्ग आर्थिक दृष्टि से स्वावलंबी हो, आत्मनिर्भर हो, उनकी कार्य क्षमता का पूर्ण उपयोग हो, योग्यता के अनुरूप उनका स्व–उद्यम स्थापित हो, ताकि राज्य के युवा वर्ग की समग्र शक्ति का लाभ राज्य को प्राप्त हो सके ।

वर्तमान में यह पाया गया है कि स्व–रोजगार योजनाओं के क्रियान्वयन में ऋण की आपूर्ति हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं का उद्देश्य अपने ऋण की वसूली ही प्रमुखता होती है। इसी कारण युवा वर्ग को पूर्ण प्रतिभा/कार्यशील होने के बावजूद भी ऋण नहीं मिल पाता हैं क्योंकि बैंकों/वित्तीय संस्थाओं की कोलेटरल सिक्योरिटी एवं तृतीय पक्ष की गारंटी देने में यह वर्ग समर्थ नहीं हो पाता।

स्व–रोजगार की इस समस्या के दीर्घकालीन निराकरण हेतु यह आवश्यक है कि राज्य शासन की ओर से उन्हें आर्थिक सहायता, समर्थन, प्रोत्साहन व सहारा दिया जावे, ताकि राज्य का युवा वर्ग अपनी योग्यता व कार्यक्षमता के अनुरूप स्व–उद्यम स्थापित कर न केवल अपने परिवार की, अपितु राज्य की आर्थिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सके ।

उपरोक्त को दृष्टिगत रखते हुये माननीय मुख्यमंत्रीजी द्वारा राज्य में स्व–रोजगार योजना प्रारंभ करने की घोषणा की गई है ।

2– आवश्यकता :–

2.1– राज्य शासन की वर्तमान में लागू औद्योगिक नीति वर्ष 2009–14 के बिन्दु क्रमांक 10.1 में भी मुख्यमंत्री स्व–रोजगार योजना प्रारंभ करने का प्रावधान है।

2.2– भारत सरकार की स्वरोजगार योजना "प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम" में हितग्राहियों को बैंक ऋण के लिये Collateral Security देना होती है। इसके कारण कई बार प्रकरणों में ऋण वितरण नहीं हो पाता है। हितग्राही Collateral Security के एवज में भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फण्ड का उपयोग ब्याज के अतिरिक्त 1 – 1.5 प्रतिशत भारित करने के कारण नहीं कर पाते हैं।

2.3– बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा राज्य के युवा वर्ग को उनके उद्योग धंधे स्थापित करने में समयबद्ध व सुगमता से ऋण प्रदान करने में राज्य शासन की ओर से गारंटी में सहायता प्रदान कर युवा वर्ग को नैतिक व आर्थिक संबल प्रदान करने की भी आवश्यकता है।

3– योजना का संक्षिप्त सार :–

1. नाम– यह योजना **"मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना"** कही जावेगी, व संपूर्ण राज्य में राजपत्र में प्रकाशन के दिनांक से लागू होगी ।

4. उद्देश्य–

4.1– राज्य के युवा वर्ग को स्व–रोजगार के रूप में उद्योग, सेवा एवं व्यवसाय स्थापित करने में समग्र सहायता (वित्तीय सहायता, गारंटी, प्रशिक्षण व अनुसरण) उपलब्ध कराना है, ताकि उनकी योग्यता एवं कार्यक्षमता के अनुरूप उनके स्वयं के उद्यम स्थापित करने में सुगमता, सहजता एवं सबलता प्राप्त हो ताकि वे राज्य की आर्थिक प्रगति में स्वयं की हिस्सेदारी महसूस करते हुये योगदान दे सके।

4.2– राज्य की युवा शक्ति को स्व–उद्यम की ओर प्रेरित कर ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों में वृद्धि करना।

4.3– ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की उपभोक्ता संबंधी आवश्यकता की पूर्ति इन्हीं क्षेत्रों से करने बाबत् सकारात्मक वातावरण तैयार करना।

4.4– कृषि संबंधी सहायक उद्योग–धंधों का विकास करना।

5. योजना के मुख्य बिन्दु–

5.1– इस योजना के अंतर्गत पात्र युवा वर्ग को निर्माण, सेवा एवं व्यवसाय हेतु बैंकों/वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से ऋण प्रदान किया जायेगा, जिसकी सीमा निम्नानुसार होगी :–

1	विनिर्माण उद्यम	–	परियोजना लागत अधिकतम	Rs. 25.00 लाख
2.	सेवा उद्योग	–	परियोजना लागत अधिकतम	Rs. 10.00 लाख
3.	व्यवसाय	–	परियोजना लागत अधिकतम	Rs. 2.00 लाख

परियोजना लागत में भूमि की राशि सम्मिलित नहीं होगी तथा स्थायी पूंजी निवेश के अंतर्गत प्रस्तावित राशि का अधिकतम 20 प्रतिशत ही भवन मद में मान्य किया जायेगा ।

5.2– बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा ऋण स्वीकृति की सुगमता एवं सहजता हेतु राज्य शासन द्वारा विनिर्माण उद्यम एवं सेवा उद्योगों हेतु भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एण्ड स्माल इन्टरप्राईजेस योजना के अंतर्गत देय गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क का भुगतान किया जायेगा ।

व्यवसाय के क्षेत्रों हेतु कोई गारंटी शुल्क/वार्षिक सेवा शुल्क नहीं दिया जायेगा।

गारंटी शुल्क एवं वार्षिक सेवा शुल्क की सहायता निम्नानुसार दी जायेगी :–

क्र	हितग्राही की श्रेणी	भारत सरकार के क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट हेतु गारंटी शुल्क/ वार्षिक सेवा शुल्क
1	सामान्य वर्ग	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षो के लिये अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क
2	अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक/नक्सल प्रभावित	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत ऋण की राशि पर लगने वाला गारंटी शुल्क तथा आगामी 04 वर्षो के लिये अधिरोपित वार्षिक सेवा शुल्क

5.3– इस योजना के अंतर्गत राज्य शासन द्वारा निम्नानुसार अनुदान छूट एवं रियायतें दी जायेगी:–

1. ब्याज अनुदान– बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा वितरित सावधि ऋण एवं कार्यशील पूंजी पर निम्नानुसार ब्याज अनुदान उद्यम की स्थापना उपरांत दिया जायेगा :–

सामान्य वर्ग	प्रथम ऋण वितरण दिनांक से 5 प्रतिशत अनुदान (पांच वर्ष की अवधि तक) अधिकतम सीमा–सावधि ऋण पर Rs. 50000 प्रतिवर्ष कार्यशील पूंजी ऋण पर Rs. 25000 प्रतिवर्ष
अ.जा/अ.ज.जा/अ.पि.वर्ग/अल्पसंख्यक/ महिला/ विकलांग/भूतपूर्व सैनिक/ नक्सल प्रभावित–	प्रथम ऋण वितरण दिनांक से 8 प्रतिशत अनुदान (पांच वर्ष की अवधि तक) अधिकतम सीमा–सावधि ऋण पर Rs. 75000 प्रतिवर्ष कार्यशील पूंजी ऋण पर Rs. 40000 प्रतिवर्ष

6. मार्जिन मनी अनुदान–

क्रं.	हितग्राही की श्रेणी	मार्जिन मनी अनुदान
1	सामान्य वर्ग	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 10 प्रतिशत अधिकतम Rs. 1,00,000/– तक
2	अ.पि.वर्ग/ अल्पसंख्यक/ महिला/ विकलांग/ भूतपूर्व सैनिक/ नक्सल प्रभावित	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 15 प्रतिशत अधिकतम Rs. 1,50,000/– तक
3	अ.जा./अ.ज.जा.	बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा स्वीकृत परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अधिकतम Rs. 1,50,000/– तक

7. अन्य सुविधायें :–

इस योजना के क्रियान्वयन की अवधि में उद्यमियों को पात्रतानुसार राज्य शासन की तत्समय में प्रचलित औद्योगिक नीति के अनुरूप ब्याज अनुदान (औद्योगिक नीति में प्रावधानित ब्याज अनुदान एवं योजना में प्रचलित ब्याज अनुदान की राशि का अंतर), स्थायी पूंजी निवेश अनुदान, स्टाम्प शुल्क से छूट, औद्योगिक क्षेत्रों में भू–आबंटन पर प्रीमियम में छूट, परियोजना प्रतिवेदन अनुदान, भूमि

व्यपवर्तन शुल्क से छूट, गुणवत्ता प्रमाणीकरण अनुदान, तकनीकी पेटेन्ट अनुदान एवं मंडी शुल्क प्रतिपूर्ति अनुदान व समय–समय पर उद्योग विभाग की औद्योगिक विकास से संबंधित नीतियों के अंतर्गत देय औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन भी प्राप्त होंगे।

8. रणनीति :–

8.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ऋण स्वीकृति के पश्चात ऋण वितरण के पूर्व उद्यमी को एक सप्ताह का उद्यमिता विकास प्रशिक्षण दिया जाएगा । प्रशिक्षण का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन किया जायेगा।

8.2 योजना का क्रियान्वयन जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा तथा राज्य स्तर पर उद्योग संचालनालय द्वारा किया जायेगा ।

8.3 परियोजना की स्थापना हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में प्रोजेक्ट प्रोफाईल निःशुल्क उपलब्ध कराये जावेंगे ।

8.4 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों में एक पृथक स्व–रोजगार सेल स्थापित किया जायेगा, जिसकी समय–समय पर समीक्षा उद्योग आयुक्त/ संचालक, उद्योग संचालनालय द्वारा की जावेगी ।

8.5. परियोजना की स्वीकृति हेतु प्रत्येक जिले में टास्कफोर्स समितियां गठित की जावेगी, जिनका कार्य पात्र युवा वर्ग की परियोजना की स्थापना हेतु ऋण प्रकरणों में समयावधि में निर्णय लेना होगा, अस्वीकृति का कारण भी बताना होगा,

8.6 टास्कफोर्स समिति का स्वरूप निम्नानुसार होगाः–

1.	कलेक्टर अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि	अध्यक्ष
2.	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	उपाध्यक्ष
3.	जिला अग्रणी बैंक प्रबंधक,	सदस्य
4.	तीन प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंको के जिला समन्वयक/प्रतिनिधि	सदस्य
5.	जिला रोजगार अधिकारी	सदस्य
6.	सूक्ष्म, लघु, मध्यम उद्यम संस्थान के प्रतिनिधि/आई.टी.आई./ पॉलिटेक्निक का प्रतिनिधि	विशेष आमंत्रित सदस्य
7.	महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र,	सदस्य सचिव

इस समिति का कोरम चार सदस्यों का होगा किन्तु अध्यक्ष या उपाध्यक्ष में से किसी एक की उपस्थिति अनिवार्य होगी ।

8.7. इस योजना के अंतर्गत अधिक से अधिक युवाओं को लाभ प्रदान करने हेतु केवल एकल स्वामी से संबंधित आवेदन ही स्वीकार किये जावेंगे, अर्थात् साझेदारी, कंपनी/सहकारी समितियां आवेदन नहीं कर सकेंगे ।

9. पात्रता :– इस योजना की पात्रता हेतु निम्नांकित अर्हतायें आवश्यक हैं:–

9.1 आवेदक छत्तीसगढ़ राज्य का मूल निवासी हो।

9.2 आवेदक न्यूनतम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण हो ।

9.3 आवेदक की आयु आवेदन दिनांक को 18 से 35 वर्ष के मध्य हो।
(अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/ निःशक्तजन उद्यमी/नक्सल प्रभावित परिवार के सदस्य/सेवानिवृत्त सैनिक हेतु अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट)

9.4 आवेदक किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक/वित्तीय संस्था/सहकारी बैंक का चूककर्ता (defaulter) नहीं हो।

9.5 एक परिवार से मात्र एक व्यक्ति ही आवेदन कर सकेगा अर्थात इस योजना का लाभ एक परिवार में एक ही व्यक्ति को मिलेगा ।

9.6 आवेदक के परिवार की वार्षिक आय Rs. 3,00,000/– से अधिक नही हो (परिवार की परिभाषा में आवेदक के पति/पत्नि एवं बच्चे सम्मिलित होंगे । आवेदक के अविवाहित होने की स्थिति में आवेदक के माता–पिता, अविवाहित भाई–बहन की आय भी सम्मिलित होगी)

9.7 आवेदक जिन्होंने प्रमंरोयो, प्रमंरोसृका या भारत सरकार/राज्य शासन की किसी अन्य योजना के अन्तर्गत अनुदान का लाभ लिया हो, पात्र नहीं होंगे।

10. प्रक्रिया :– इस योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्नानुसार प्रक्रिया अपनायी जायेगी :–

10.1 आवेदक द्वारा निर्धारित प्रारूप में आवेदन जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में आवश्यक सहपत्रों सहित प्रस्तुत किया जायेगा, आवेदन पत्र निःशुल्क होगा।

10.2 प्राप्त सभी आवेदन पंजीबद्ध किये जावेंगे। अपूर्ण आवेदन पूर्ण करने हेतु जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र द्वारा आवेदक को 15 दिवस का समय दिया जायेगा। निर्धारित समयावधि में आवेदन पूर्ण न करने पर आवेदन लौटा दिया जायेगा ।

10.3 आवेदन के साथ प्रस्तावित गतिविधि की प्रोजेक्ट प्रोफाईल (संक्षिप्त परियोजना प्रतिवेदन) भी संलग्न की जायेगी ।

10.4 जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र में प्राप्त आवेदन पत्र टास्कफोर्स समिति के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे। टास्कफोर्स समिति आवेदक की योग्यता, अनुभव, तकनीकी योग्यता, कौशल परियोजना की व्यवहार्यता आदि के आधार पर साक्षात्कार उपरांत अनुमोदन प्रदान करेगी। अनुमोदित प्रकरण संबंधित बैंकों को ऋण स्वीकृति हेतु अग्रेषित किये जायेंगे।

10.5 बैंकों/वित्तीय संस्थाओं द्वारा 30 दिवसों के समयावधि में प्रकरणों का निराकरण किया जायेगा व आवेदक को उसकी सूचना दी जावेगी ।

10.6 योजना अंतर्गत स्थापित उद्यम का निरीक्षण जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र के अधिकारियों द्वारा किया जा सकेगा।

11. ऋण राशि की वसूली– इस योजना के क्रियान्वयन हेतु ऋण राशि की वसूली निम्नानुसार की जा सकेगी :–

11.1 गलत/भ्रामक जानकारी अथवा गलत तरीके से सहायता प्राप्त करने पर हितग्राही से समस्त राशि विधि मान्य तरीकों से एकमुश्त वसूल की जायेगी ।

11.2 ऋण राशि का दुरूपयोग पाये जाने की स्थिति में भू–राजस्व बकाया की तरह वसूली की कार्यवाही भी वित्तीय संस्था द्वारा भी की जा सकेगी।

11.3 ऋण/ब्याज के पुर्नभुगतान/भुगतान में डिफाल्ट करने की स्थिति में योजनांतर्गत राज्य शासन द्वारा दिये जाने वाले आर्थिक निवेश प्रोत्साहन भी भू–राजस्व बकाया की तरह वसूली योग्य होंगे, तथा उक्त परिस्थिति में भविष्य में दी जाने वाली सहायता भी देय नहीं होगी।

12. योजना के अंतर्गत निषिद्ध कार्यों की सूची :– योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित क्रियाकलापों को सम्मिलित नहीं किया जायेगा :–

12.1 मीट (स्लॉटर किया हुआ) से जुड़े उद्योग/रोजगार अर्थात् मीट का प्रसंस्करण, डिब्बाबंद या मांसाहारी खाद्य पदार्थ सर्व करना/बिक्री करना । बीड़ी, पान, सिगार, सिगरेट तम्बाकू आदि नशीली वस्तुओं का उत्पादन और बिक्री, कोई ऐसा होटल या ढाबा जहाँ शराब सर्व किया जाता हो, कच्चे माल के रूप में तम्बाकू का प्रयोग, ताड़ी बेचना ।

12.2 रेशम पालन (ककूनपालन) बागवानी, हार्वेस्टर सहित पुष्पोद्यानिकी, मत्स्य पालन, शूकरपालन, मुर्गीपालन जैसे पशुपालन का कार्य ।

12.3 पर्यावरणीय समस्याएं पैदा करने वाली परियोजनाएं, 20 माइक्रान से कम मोटाई वाली पॉलिथिन की थैलियों का निर्माण और पुनः चक्रीकृत प्लास्टिक से बने थैले व अन्य उत्पाद।

13. लक्ष्य पूर्ति –

13.1 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वित्तीय वर्ष में भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्यों का निर्धारण उद्योग संचालनालय द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी से चर्चा उपरांत किया जायेगा ।

13.2 योजना अन्तर्गत कुल निर्धारित लक्ष्य में से न्यूनतम 40 प्रतिशत आवेदन विनिर्माण उद्यम क्षेत्र में, न्यूनतम 20 प्रतिशत आवेदन सेवा उद्यम क्षेत्र में तथा न्यूनतम 20 प्रतिशत आवेदन व्यवसाय क्षेत्र में स्वीकृत किये जायेंगे ।

13.3 निर्धारित लक्ष्य में से 50 प्रतिशत लक्ष्य की पूर्ति अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.वर्ग महिला/विकलांग/नक्सल प्रभावित/भूतपूर्व सैनिक वर्ग से की जायेगी।

14. योजना का क्रियान्वयन–

14.1 इस योजना के क्रियान्वयन हेतु वाणिज्य एवं उद्योग विभाग नोडल एजेंसी होगा तथा जिला स्तर पर जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्रों द्वारा इसका क्रियान्वयन किया जायेगा।

14.2 योजना के क्रियान्वयन हेतु आवश्यक दिशा निर्देश/मार्गदर्शन उद्योग संचालनालय द्वारा जारी किये जा सकेंगे ।

14.3 योजना की समीक्षा उद्योग संचालनालय द्वारा की जायेगी।

14.4 योजना की कार्यावधि में राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि इस योजना में नये प्रावधानों का समावेश/संशोधन/अंकित प्रावधानों का विलोपन करे ।

14.5 जिला स्तरीय टास्कफोर्स समिति से प्राप्त संदर्भ राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में विचार हेतु रखे जायेंगे एवं राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी में भी इस योजना के लक्ष्य पूर्ति, समस्याओं आदि पर विचार कर निर्णय लिया जायेगा ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एन बैजेन्द्र कुमार, प्रमुख सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्रमांक/क/व /भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./02/अ-82/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	रैता प.ह.नं. 17	92, 93	0.056	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.).	धरसींवा-कपसदा-रैता-तिल्दा मार्ग के कि.मी.-5/4 पर कोल्हान नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			94/3	0.283		
			94/2	0.101		
			61/2	0.121		
			91/2	0.147		
			94/1	0.620		
		योग	**6**	**1.328**		

रायपुर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./03/अ-82/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

(ट)

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	कपसदा प.ह.नं. 17	369/1	0.322	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, रायपुर (छ.ग.).	धरसींवा-कपसदा-रैता-तिल्दा मार्ग के कि.मी.-5/4 पर कोल्हान नाला पर उच्च स्तरीय पुल निर्माण हेतु भू-अर्जन.
			369/10	0.159		
			367/24	0.033		
		योग	**3**	**0.514**		

रायपुर, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक 399/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./1/अ-82/वर्ष 2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	आरंग	पलौद प.ह.नं. 21	1401	0.42	मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नया रायपुर डेव्हलपमेंट अथॉरिटी, रायपुर.	नया रायपुर क्षेत्र के लेयर-2 में ए.डी. रोड़-1 हेतु.
			1578	0.04		
			1579	0.15		
			1588	0.07		
			1590	0.43		
			1591/2	0.20		
			1591/3	0.15		
			1591/4	0.12		
			1592/2	0.20		
			1592/3	0.11		

(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
			1592/4	0.24		
			1749	0.02		
			1752	0.28		
			1794	0.03		
			1814	0.09		
		योग	**15**	**2.55**		

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, आरंग/अभनपुर, मुख्यालय रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सिद्धार्थ कोमल सिंह परदेशी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 30 दिसम्बर 2013

क्रमांक/क/वा./भू.अ./अ.वि.अ./प्र.क्र./04/अ-82/वर्ष 2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन					धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल			
			खसरा नं.	रकबा (हेक्टेयर में)		
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)
रायपुर	रायपुर	तुलसी प.ह.नं. 41	1364	0.247	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग, सेतु संभाग क्रमांक-1, रायपुर (छ.ग.).	जोरा - सड्डू - धनेली बायपास मार्ग के निर्माण हेतु भू-अर्जन.
		योग	**1**	**0.247**		

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
धनंजय देवांगन, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्रमांक 06/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	फदहा प.ह.नं. 13	3.57	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत लिमतरी माइनर एवं फदहा माइनर नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

क्रमांक 07/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	मंगला प.ह.नं. 28	9.16	कार्यपालन अभियंता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बिलासपुर व्यपवर्तन योजना अंतर्गत बेलटुकरी मा. कुरेली मा.नं. 2 मटियारी मा. एवं मंगला सबमाईनर नहर निर्माण कार्य.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ.वि.अ. (राजस्व), बिल्हा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रामसिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 6 दिसम्बर 2013

क्रमांक 02/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	जैजैपुर	बरेकेल खुर्द प.ह.नं. 23	3.87	कार्यपालन अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, सेतु निर्माण संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	बरदुली - भातमाहुल मार्ग पर बोरई नदी पर सेतु के पहुंच मार्ग के निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, सक्ती जिला-जांजगीर-चांपा के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2013

क्रमांक 07/क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	नवापारा प.ह.नं. 26	13.92	कार्यपालन अभियन्ता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 21 दिसम्बर 2013

क्रमांक 10/क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	पिपरदा प.ह.नं. 02	5.01	कार्यपालन अभियन्ता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक 08/क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	बलौदा	सुल्ताननार प.ह.नं. 26	8.89	कार्यपालन अभियन्ता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

जांजगीर-चांपा, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक 09/क/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा, इस अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :—

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2)	सार्वजनिक प्रयोजन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)	के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	का वर्णन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
जांजगीर-चांपा	अकलतरा	चंदनिया प.ह.नं. 02	4.59	कार्यपालन अभियन्ता, खारंग जल संसाधन संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)	लीलागर व्यपवर्तन योजना के अन्तर्गत बछौद शाखा नहर निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), जांजगीर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 37/अ-82/2010-11.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम-परसापाली, प.ह.नं. 41, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 1.846 हे. केलो परियोजना अंतर्गत परसापाली माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमशः दिनांक 22-04-2011 तथा दिनांक 11-11-2011 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 45 कुल रकबा 1.846 हे. ग्राम की समस्त भूमि महानदी के बाढ़ क्षेत्र से प्रभावित होने के फलस्वरूप खरीफ सिंचाई हेतु नहर निर्माण की आवश्यकता न होने के कारण ग्रामवासियों द्वारा नहर निर्माण नहीं किये जाने हेतु अनुरोध के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-परसापाली

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)
1.	6/1	0.069

(1)	(2)	(3)
2.	6/6	0.061
3.	6/8	0.008
4.	6/9	0.061
5.	6/10	0.008
6.	6/19	0.020
7.	23/1क	0.097
8.	6/20	0.097
9.	6/28	0.089
10.	6/29	0.004
11.	29/3	0.028
12.	6/30	0.020
13.	29/2	0.032
14.	23/1ख	0.048
15.	29/1	0.012
16.	30	0.097
17.	98	0.008
18.	97	0.097
19.	101/2	0.045
20.	103	0.069
21.	170	0.016
22.	102	0.065
23.	104/2	0.045
24.	104/3	0.020
25.	104/5	0.020
26.	107/1	0.105
27.	167	0.004
28.	181	0.016
29.	107/2	0.028
30.	160/1	0.065
31.	161/1	0.028
32.	171	0.097
33.	159	0.012
34.	173/1	0.024
35.	162/1	0.041
36.	173/3	0.028
37.	164	0.032
38.	172/3	0.024
39.	165	0.045
40.	166	0.028
41.	180	0.028
42.	172/1	0.020
43.	172/2	0.020
44.	158/4	0.008
45.	160/2	0.057
	कुल खसरा 45	**कुल रकबा 1.846**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 56/अ-82/2010-11.—उपरोक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, अ.मु. खरसिया द्वारा ग्राम छोटेभण्डार, प.ह.नं. 39, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 1.126 हे. केलो परियोजना अंतर्गत अमली भौना माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 06-05-2011 तथा दिनांक 25-11-2011 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 12 कुल रकबा 1.126 हे. भूमि अमलीभौना माइनर नहर के कमाण्ड क्षेत्र की अधिकांश भूमि नहर के दोनो ओर लगभग 1 कि.मी. तक कोरबा वेस्ट कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है. इस कारण वर्तमान में अमलीभौना माइनर नहर बनाने का आवश्यकता न होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-छोटेभण्डार

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)
1.	73/1	0.028
2.	73/2	0.061
3.	71	0.041
4.	75/1क	0.269
5.	73/3 क	0.008
6.	74	0.121
7.	76	0.020
8.	79/5	0.101
9.	58/5	0.101
10.	58/1	0.206
11.	57	0.166
12.	59/6	0.004
	कुल खसरा 12	**कुल रकबा** 1.126

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 57/अ-82/2010-11.—उपरोक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया द्वारा ग्राम बुनगा, प.ह.नं. 40, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 0.506 हे. केलो परियोजना अंतर्गत बुनगा माइनर-2 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छ.ग. राजपत्र में क्रमश: दिनांक 06-05-2011 तथा दिनांक 25-11-2011 को कराया गया है.

८४ चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि में से कुल खसरा 11 रकबा 0.506 हे. भूमि बुनगा माइनर-2 नहर के कमाण्ड क्षेत्र की अधिकांश भूमि पूर्व में निर्मित बुनगा लघु जलाशय के नहर प्रणाली से सिंचित है. नहर में सुधार पश्चात् बुनगा जलाशय के नहर के माध्यम से सिंचित करने हेतु ग्रामवासियों ने अनुरोध किया है जिसके फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-बुनगा

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)
1.	84	0.008
2.	85/1	0.012
3.	87/3	0.016
4.	88/1	0.036
5.	88/2	0.016
6.	90	0.032
7.	94/2	0.028
8.	96/1	0.020
9.	96/2	0.004
10.	97	0.298
11.	86/5	0.036
कुल खसरा	**11**	**कुल रकबा 0.506**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 60/अ-82/2010-11.—उपरोक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग, लाखा, अ.मु. खरसिया द्वारा ग्राम अमलीभौना, प.ह.नं. 39, तहसील पुसौर, जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 0.945 हे. केलो परियोजना अंतर्गत अमलीभौना माइनर नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छ.ग. राजपत्र में क्रमशः दिनांक 06-05-2011 तथा दिनांक 25-11-2011 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, अ.मु. खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि में से कुल खसरा 11 रकबा 0.945 हे. भूमि अमलीभौना माइनर नहर के कमाण्ड क्षेत्र की अधिकांश भूमि नहर के दोनों ओर लगभग 1 कि.मी. तक कोरबा वेस्ट कंपनी द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है. इस कारण वर्तमान में अमलीभौना माइनर नहर बनाने का आवश्यकता न होने के कारण भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-अमलीभौना

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)
1.	308/4	0.198
2.	308/6	0.206
3.	306	0.105
4.	312	0.109
5.	214/1	0.177
6.	325/1	0.004
7.	316/6	0.008
8.	307/1	0.016
9.	313/3	0.004
10.	316/1	0.077
11.	316/2	0.041
	कुल खसरा 11	**कुल रकबा 0.945**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का विवरण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

रायगढ़, दिनांक 26 सितम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 72/अ-82/2010-11.—उपर्युक्त भू-अर्जन प्रकरण में कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, अस्थायी मुख्यालय खरसिया द्वारा ग्राम रनभांठा, प.ह.नं. 40, तहसील पुसौर व जिला रायगढ़ की निजी भूमि कुल रकबा 1.494 हे. केलो परियोजना अंतर्गत बुनगा माइनर 2 नहर निर्माण हेतु भू-अर्जन के प्रस्तुत प्रस्ताव के आधार पर भू-अर्जन अधिनियम के तहत धारा-4 (1) की अधिसूचना तथा धारा-6 की अधिसूचना का प्रकाशन प्रावधानों के अनुसार किया जाकर छत्तीसगढ़ राजपत्र में क्रमश: दिनांक 08-04-2011 तथा दिनांक 25-11-2011 को कराया गया है.

चूंकि अब कार्यपालन अभियंता, केलो परियोजना निर्माण संभाग लाखा, अस्थायी मुख्यालय खरसिया के द्वारा भू-अर्जन की कार्यवाही हेतु सम्मिलित उक्त भूमि से कुल खसरा 11 कुल रकबा 0.506 हे. भूमि बुनगा लघु जलाशय के नहर प्रणाली से सिंचित करने के ग्राम वासियों के अनुरोध के फलस्वरूप भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त करने के अनुरोध पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा-48 के क्रमांक 4 एवं 5 के अनुसार प्रत्याहरण किया जाता है.

1. प्रत्याहरण हेतु भूमि का विवरण :—

ग्राम-रनभांठा

क्र. (1)	ख. नं. (2)	रकबा (3)
1.	6/2	0.045

(1)	(2)	(3)
2.	7/1	0.024
3.	10	0.036
4.	6/1	0.073
5.	8/2	0.077
6.	12/1	0.020
7.	73/1	0.032
8.	11/2	0.016
9.	12/2	0.109
10.	20/1क	0.041
11.	23/2	0.057
12.	29/2	0.065
13.	31	0.117
14.	84	0.004
15.	32	0.053
16.	33	0.061
17.	36/3	0.089
18.	72/1	0.016
19.	74	0.065
20.	72/2	0.004
21.	92/1	0.016
22.	86	0.105
23.	83	0.073
24.	87	0.049
25.	89/1	0.117
26.	93	0.012
27.	9	0.041
28.	92/2	0.077
	कुल खसरा 28	**कुल रकबा 1.494**

2. भू-अर्जन की कार्यवाही से मुक्त किये जा रहे भूमि का ब्यौरा अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), रायगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 40/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ग) नगर/ग्राम-सरवन देवरी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.76 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
64	0.01
65	0.16
68	0.10
69	0.02
70	0.03
71	0.08
72	0.06
80, 81, 86	0.18
75	0.05
79	0.07
योग	0.76

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-महामाया मंदिर रतनपुर बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 11 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 41/अ-82/वर्ष 2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ख) तहसील-बिलासपुर (छ.ग.)
- (ग) नगर/ग्राम-खैरखुण्डी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-3.72 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
13/1, 55/2	0.22
13/2	0.23
13/3, 55/3	0.38
55/1	0.02
15/1	0.17
15/2, 15/3	0.26
17/1	0.06
17/2, 17/4	0.26
19/1, 52/2	0.36
19/2, 20	0.03
19/3	0.35
22/1, 23/3, 22/4	0.15
59/2	0.23
21/1, 21/2	0.15
23/2	0.03
24	0.33
26	0.05
27	0.21
28	0.14
29	0.07

	(1)	(2)
	61	0.02
योग		3.72

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-महामाया मंदिर रतनपुर बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, बिलासपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 17 दिसम्बर 2013

क्रमांक 19/अ-82/2011-12.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-कोटा
- (ग) नगर/ग्राम-रतनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-21.78 एकड़

खसरा नम्बर (1)	रकबा (एकड़ में) (2)
2634	0.30
2847/1छ	0.07
2847/1ज	0.04
2849/1ख	0.30
2849/1ग/1, 2849/1ग/2	0.07
5018/2	0.12
5020/4	0.21
5020/1	0.09
5020/2	0.13
5020/6	0.11
5020/7	0.25
5021/1	0.07
5021/2	0.10
5021/3	0.17
2849/1च	0.18
4824/4	0.13
4824/3, 4824/7	0.21
4823	0.25
4747/2	0.24
4746	0.23
4764	0.06
5356	0.10
5359	0.12
5362/1	0.09
5361	0.32
5662/2	0.19
5363/1	0.20
5402	0.10
5403	0.07
5404	0.07
5405	0.10
5406/1	0.08
5585/1	0.37
5585/3	0.20
5964	0.08
5965/2, 5966/1	0.01
5953/2, 5955	0.15
5897/7, 5954	0.16
5897/6	0.12
5897/4	0.11
5355	0.23
5897/3	0.24
5897/1	0.40
5896	0.26
5895/2	0.85
5890/2	0.40
5893	0.45
5888, 5889	0.11
5875	0.50
5873	0.13
5874	0.07
5876	0.13
5872/4क	0.07
5872/2ख	0.16
5872/6	0.25
5872/5	0.07

(1)	(2)
5872/7	0.08
5872/4ख, 5872/4ग	0.12
5872/1क, 5872/1ख	0.19
5872/2क	0.09
6597/2	0.44
6598	0.90
6599/2	0.65
6599/3	0.65
6599/1	0.60
6631/1	1.30
6631/7	0.90
6609/11	0.43
6609/14	0.05
6609/2	0.36
6609/4	0.40
6607/1, 6609/3	0.04
6607/2	0.02
6610	0.56
6613	0.36
6614	0.48
5897/5	0.11
5872/8	0.10
5894	0.04
6343/1	0.72
6699/4	0.66
6608	0.18
6612/2	0.06
6586/1	0.13
6511	0.50
योग	21.78

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-महामाया मंदिर रतनपुर बाईपास मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राम सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला उत्तर बस्तर कांकेर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

कांकेर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्रमांक/9619/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-डूमरपानी
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.33 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	169/1	0.50
	164	0.35
	162/4	0.14
	161	0.16
	84	0.15
	87/1	0.03
योग	6	1.33

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-बिरनपुर तलाब निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

कांकेर, दिनांक 20 दिसम्बर 2013

क्रमांक/9622/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन
- (क) जिला-उत्तर बस्तर कांकेर
- (ख) तहसील-नरहरपुर
- (ग) नगर/ग्राम-सोनपुर
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.18 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	431	0.25
	384	0.44
	386	0.08
	387	0.33
	389/1	0.18
	380/1	0.13
	389/2	0.11
	380/2	0.11
	391/1	0.08
	378	0.11
	391/2	0.11
	379	0.24
	377	0.01
योग	13	2.18

(2) सार्वजनिक प्रयोजन का नाम-दुधावा दायीं तट नहर निर्माण योजना हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.), कांकेर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अलरमेलमंगई डी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

रायगढ़, दिनांक 13 दिसम्बर 2013

भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक 11/अ-82/2012-13.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायगढ़
- (ख) तहसील-सारंगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-धौठला छोटे
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-17.939 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
6	0.340
7/2	0.256
111/4	0.032
184/5	0.231
111/5	0.065
53/2	0.069
153/2	0.138
46/3	0.010
43/2	0.182
52/4	0.122
50	0.049
117/1ख	0.061
53/4	0.061
63/4	0.087
55/1ख	0.041
106/1	0.073
106/2	0.032
150/5	0.061
57/1	0.089
60	0.097
114/1	0.097
12/1	0.186
45/2	0.085
111/7	0.169
155/2	0.041
7/5	0.069
155/5	0.105
19/2ख	0.036
153/3	0.097
43/1	0.167
116/2	0.166
56/1	0.146
48	0.081
52/1	0.033
111/8	0.097
12/2	0.186

(1)	(2)	(1)	(2)
65/5	0.065	115/1	0.008
55/4	0.214	25/3	0.182
112	0.061	57/2ख	0.061
154/5	0.020	61/1	0.036
108/1	0.074	64	0.040
59	0.182	65/7	0.020
61/2	0.073	163	0.024
44/4	0.070	7/3	0.077
165	0.028	155/1	0.041
53/3	0.062	111/1	0.024
7/4	0.067	155/4	0.101
7/7	0.053	153/1	0.097
7/11	0.085	15/1	0.077
19/1ख	0.073	13/1	0.049
16/1	0.089	43/3	0.101
109/1	0.052	46/2	0.081
15/4	0.020	117/1क	0.178
44/1	0.093	7/12	0.085
113/1	0.109	63/1	0.020
52/2	0.101	65/1	0.286
54/2	0.020	55/3	0.089
16/2	0.087	55/5	0.089
55/2	0.230	115/3	0.053
65/3	0.077	56/3	0.061
62	0.081	58	0.073
56/2	0.125	105/2	0.060
57/2क	0.065	63/3	0.053
168/2	0.182	65/4	0.021
63/2	0.146	160	0.065
63/5	0.054	108/2	0.121
161	0.125	117/5	0.121
155/7	0.056	113/2	0.105
111/3	0.032	177/5	0.024
53/1	0.139	167/2	0.085
111/6	0.069	178/2	0.057
20	0.004	156/1	0.065
54/1	0.020	150/9	0.057
116/1	0.259	177/3	0.142
166/10	0.026	154/7	0.314
47/1	0.041	166/2ख	0.089
8	0.360	169/1	0.138
52/5	0.036	168/5	0.065
44/3	0.060	182/1	0.150
55/1क	0.173	55/6	0.199
166/1ख	0.026	17/3	0.016
138/1	0.034	184/7	0.117

(1)	(2)
166/6	0.026
108/3	0.040
109/6	0.089
111/2	0.032
177/1	0.053
115/4	0.061
177/4	0.077
150/7ख	0.062
156/4	0.065
154/2	0.386
155/3	0.069
166/5ख	0.049
18/5	0.057
169/3	0.061
66	0.020
15/3	0.045
62/4ख	0.109
184/3	0.073
106/3	0.065
109/2	0.105
109/7ख	0.052
114/2	0.061
115/2	0.178
150/6	0.032
150/4	0.093
156/2क	0.056
151/1	0.012
156/3ख	0.097
157	0.101
166/3	0.097
168/4	0.065
168/9	0.045
176	0.271
166/1	0.054
49	0.255
175	0.214
106/4	0.077
109/4ख	0.065
19/2क	0.028
114/3	0.024
150/7क	0.032
154/6	0.045
154/4	0.065
150/8	0.073
158	0.069
78/1	0.032
162	0.117
168/1	0.182
168/6	0.053
183/1	0.097
181	0.125
51	0.081
168/7	0.045
166/9	0.026
106/5क	0.052
110/2	0.008
110	0.081
116/4	0.049
154/1ख	0.065
154/10	0.065
154/8	0.036
178/4	0.142
177/2	0.085
154/1क	0.105
164/4	0.158
168/2	0.046
168/8	0.046
183/2	0.194
184/4	0.117
52/2	0.032
184/8	0.113
योग 196	17.939

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-साराडीह बैराज निर्माण हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी (रा.), सारंगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मुकेश बंसल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चांपा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चांपा, दिनांक 12 दिसम्बर 2013

क्रमांक 05/अ-82/2013-14.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चांपा
- (ख) तहसील-जैजैपुर
- (ग) नगर/ग्राम-रीवाडीह, प.ह.नं. 22
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.28 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	122, 123, 124	0.03
	128	0.01
	223	0.05
	226	0.02
	484/1	0.02
	484/2	0.05
	485	0.10
योग	7	0.28

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-रीवाडीह-पिरदा मार्ग पर बोराई नदी पर पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सक्ती के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्बलगन पी., कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8240/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-छुरिया
- (ग) नगर/ग्राम-बिटाल, प.ह.नं. 26
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.012 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	346/1	1.012
योग	1	1.012

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है- खुर्सीपार जलाशय के अंतर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8241/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुरिया
(ग) नगर/ग्राम-पठानढोड़गी, प.ह.नं. 24
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.041 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	382/2	0.041
योग	1	0.041

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-कोलियारी जलाशय के अंतर्गत नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8242/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-छुरिया
(ग) नगर/ग्राम-पाण्डेटोला, प.ह.नं. 08
(घ) लगभग क्षेत्रफल-1.255 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	384/1	1.255
योग	1	1.255

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-बिटाल जलाशय के अंतर्गत डुबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 24 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8243/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-राजनांदगांव
(ख) तहसील-डोंगरगांव
(ग) नगर/ग्राम-गनेरी, प.ह.नं. 27
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.142 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	188/1	0.081
	192	0.061
योग	2	0.142

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है - झूरानाला एनीकट निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 26 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8311/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-डोंगरगढ़
- (ग) नगर/ग्राम-माटेकट्टा, प.ह.नं. 36
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.163 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	371/1	0.053
	371/2	0.041
	370/1	0.045
	367	0.024
योग	4	0.163

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-पिनकापार व्यपवर्तन के डूबान हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, डोंगरगढ के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8465/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-ढाबा, प.ह.नं. 21
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.11 एकड़

	खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
	(1)	(2)
	20/2	0.11
योग	1	0.11

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गठुला-बोरी-बरगाही एनीकट कम कावेज के अंतर्गत बंड लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8466/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-कांकेतरा, प.ह.नं. 19
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.45 एकड़

खसरा नम्बर	रकबा (एकड़ में)
(1)	(2)
1283	0.45
योग 1	0.45

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-गठुला-बोरी बरगाही एनीकट कम कॉजवे के अंतर्गत बंड लाईन हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8467/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-राजनांदगांव
 (ख) तहसील-राजनांदगांव
 (ग) नगर/ग्राम-दर्रा, प.ह.नं. 05
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.457 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
654	0.125
656	0.109
657	0.223
योग 03	0.457

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अउरदा से दर्रा मार्ग पर सोनबरसा नाला पर पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

राजनांदगांव, दिनांक 28 दिसम्बर 2013

क्रमांक/8468/भू-अर्जन/2013.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-राजनांदगांव
 (ख) तहसील-राजनांदगांव
 (ग) नगर/ग्राम-अउरदा, प.ह.नं. 05
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.395 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
188/2	0.352
186/1	0.137
173/1	0.231
203	0.659
206	0.016
योग 05	1.395

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है-अउरदा से दर्रा मार्ग पर सोनबरसा नाला पर पुलमय पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार अग्रवाल, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड

बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर

रायपुर, दिनांक 23 दिसम्बर 2013

क्रमांक/बी-8/भा.अधि./32/2012-13/5902.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/बी-8/भा.अधि./2012-13/7574 रायपुर, दिनांक 17-02-2011 द्वारा श्री आर. जी. मेहरा को, कृषि उपज मण्डी समिति गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया गया था.

कलेक्टर गरियाबंद, जिला गरियाबंद के ज्ञापन क्रमांक 5601/1232 दिनांक 30-11-2013/02-12-2013 द्वारा कृषि उपज मंडी समिति गरियाबंद में भारसाधक अधिकारी नियुक्ति के संबंध में श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गरियाबंद को भारसाधक अधिकारी नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया गया.

अत: छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम 1972 (क्रमांक 24 सन् 1973) की धारा 57 की उपधारा 1 के खण्ड 'ख' में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा, श्री आर. जी. मेहरा, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के पदोन्नति उपरांत धमतरी स्थानांतरण हो जाने से उसके स्थान पर श्री एस. एस. चौहान, वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी गरियाबंद, जिला-गरियाबंद को, उनके कार्यभार ग्रहण दिनांक से कृषि उपज मण्डी समिति गरियाबंद का भारसाधक अधिकारी नियुक्त किया जाता है.

ए. एन. मिश्रा,
प्रबंध संचालक.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 27th September 2013

No. 479/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Members of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), of the table below, are transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and are posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Members of Higher Judicial Service are appointed as Sessions Judge of the Sessions Division mentioned in Column No. (5) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri A. K. Beck, District & Sessions Judge.	Dantewara	Bemetara	Bemetara	District & Sessions Judge of Civil District Bemetara, which shall come into existence w.e.f. 02-10-2013.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Shri Ganpat Rao, District & Sessions Judge.	Jashpur	Surajpur	Surajpur	District & Sessions Judge of Civil District Surajpur, which shall come into existence w.e.f. 02-10-2013.
3.	Smt. Rajni Dubey, Judge, Family Court.	Rajnandgaon	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	District & Sessions Judge of Civil District Baloda-Bazar, which shall come into existence w.e.f. 02-10-2013.
4.	Shri Neelam Chand Sankhla, Judge Family Court.	Kanker	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	District & Sessions Judge.
5.	Shri Ravi Shankar Sharma, Additional Secretary, Law Department.	Raipur	Jashpur	Jashpur	District & Sessions Judge.
6.	Shri Deepak Kumar Tiwari, Additional District & Sessions Judge (F.T.C.)	Baikunthpur	Balod	Balod	District & Sessions Judge of Civil District Balod, which shall come into existence w.e.f. 02-10-2013.

Bilaspur, the 27th September 2013

No. 481/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Member of Higher Judicial Service, as specified in Column No. (2), of the table below, is transferred from the place shown in column No. (3) to the place shown in column No. (4) and is posted in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge of the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Govind Kumar Mishra I Additional Principal Judge, Family Court.	Durg	Baikunthpur	Koriya (Baikunthpur)	Additional District & Sessions Judge (F.T.C.) vice Shri Deepak Kumar Tiwari.

Bilaspur, the 27th September 2013

No. 482/Confdl./2013/II-2-1/2013.—The following Senior Civil Judges, as specified in column No. (2) of the table below, who have been promoted and appointed as District Judge (Entry Level) in officiating capacity by the State Government, are transferred from the place specified in Column No. (3) to the place specified in column No. (4) and are posted in the capacity as specified in column No. (6) from the date they assume charge of their office and;

The following Senior Civil Judges as specified in Column No. (2), are appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions Division, mentioned in Column No. (5), from the date they assume charge of their office :—.

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Uma Shankar Mishra Civil Judge Class-I & C.J.M.	Sukma	Bhanupratappur	Uttar Bastar (Kanker)	Additional District & Sessions Judge vice Shri Vinay Kumar Kashyap.
2.	Smt. Saroj Nand Das, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Janjgir-Champa	Janjgir	Janjgir-Champa	I Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
3.	Shri Khilawan Ram Rigri, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Surajpur	Ramanujganj	Surguja (Ambikapur)	Additional Judge to the Court of Additional Djsrict & Sessions Judge, Ramanujganj.
4.	Ku. Sanghratna Bhatpahari, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Jagdalpur	Korba	Korba	I Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
5.	Shri Thomas Ekka, Civil Judge Class-I & C.J.M.	Balod	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	II Additional District & Sessions Judge Ambikapur in the vacant Court.
6.	Shri Devendra Nath Bhagat, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Rajnandgaon	Dhamtari	Dhamtari	Addtional District & Sessions Judge (F.T.C.) Vice Shri Sypriel Xess.
7.	Shri Shailesh Kumar Ketarap, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Raipur	Raipur	Raipur	III Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.
8.	Shri Prafull Sonwani, I Civil Judge Class-I & C.J.M.	Jashpur	Ambikapur	Surguja (Ambikapur)	III Additional District & Sessions Judge vice Shri Nirmal Minj.
9.	Shri Santosh Kumar Aditya, Civil Judge Class-I & Additional C.J.M.	Khairagarh	Surajpur	Surajpur	II Additional District & Sessions Judge in the vacant Court.

Bilaspur, the 27th September 2013

No. 484/Confdl./2013/II-3-1/2013.—The following Civil Judges Class-I & Judicial Magistrates First Class, as specified in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and are appointed as Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrates/Additional Chief Judicial Magistrates for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date they assume charge of their offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Alok Kumar, VI Civil Judge Class-I & Addl. C.J.M.	Raipur	Raipur	Raipur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate vice Shri Shailesh Kumar Ketarap.
2.	Smt. Sangeeta Naveen Tiwari II Civil Judge Class-I.	Bilaspur	Raipur	Raipur	VI Civil Judge Class-I & Addl. Chief Judicial Magistrate vice Shri Alok Kumar.
3.	Smt. Leena Agrawal, II Civil Judge Class-I.	Rajnandgaon	Rajnandgaon	Rajnandgaon	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate vice Shri Devendranath Bhagat.
4.	Shri Pankaj Ku. Jain, III Civil Judge Class-I.	Jagdalpur	Jagdalpur	(Bastar) Jagdalpur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate vice Ku. Sanghratna Bhatpahari.
5.	Shri Pankaj Kumar Sinha, Civil Judge Class-I.	Bilha	Janjgir-Champa	Janjgir-Champa	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate vice Ku. Saroj Nand Das.
6.	Shri Harish Ku. Awasthi, Civil Judge Class-I.	Akaltara	Surajpur	Surajpur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate vice Shri Khilawan Ram Rigri.
7.	Smt. Shraddha Shukla Sharma III Civil Judge Class-I.	Durg	Jashpur	Jashpur	I Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate vice Shri Prafull Sonwani.
8.	Smt. Madhu Tiwari, Secretary, District Legal Services Authority.	Durg	Balod	Blaod	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate vice Shri Thomas Ekka.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Smt. Garima Sharma, Civil Judge Class-I.	Champa	Khairagarh	Rajnandgaon	Civil Judge Class-I & Additional Chief Judicial Magistrate vice Shri Santosh Kumar Aditya.
10.	Shri Yashwant Ku. Sarthi, Civil Judge Class-I.	Manendragarh	Sukma	Sukma	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate vice Shri Uma Shankar Mishra.

Note :— By virtue of this order, the above officers shall not be entitled to the Superior scale-Chief Judicial Magistrate/ Additional Chief Judicial Magistrate-First stage of Assured Career Progression pay scale and their cases shall be considered by the High Court as per Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006.

Bilaspur, the 27th September 2013

No. 486/Confdl./2013/II-3-1/2013.—The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Nratyaniay Singh Patel, Civil Judge Class-I.	Gunderdehi	Bilaspur	Bilaspur	II Civil Judge Class-I vice Smt. Sangeeta Naveen Tiwari.

Bilaspur, the 27th September 2013

No. 487/Confdl./2013/II-3-1/2013.—The following Civil Judges (Entry Level) as mentioned in Column No. (2) of the table below, are hereby promoted and appointed as Senior Civil Judge and consequently are transferred from the place, as specified in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Sarita Das, Civil Judge Class-II.	Pamgarh	Korba	Korba	Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Smt. Yogita Vinay Wasnik, XVI Civil Judge Class-II.	Raipur	Jagdalpur	Bastar (Jagdalpur)	III Civil Judge Class-I vice Shri Pankaj Kumar Jain.
3.	Shri Pramod Singh Paraste, Civil Judge Class-II.	Nawagarh	Menendragarh	Koriya (Baikunthpur)	Civil Judge Class-I vice Shri Yashwant Kumar Sarthi.
4.	Shri Jitendra Kumar Thakur, Civil Judge Class-II.	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	II Civil Judge Class-I in the vacant Court.
5.	Shri Jagdish Ram, VII Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Bilha	Bilaspur	Civil Judge Class-I vice Shri Pankaj Kumar Sinha.
6.	Shri Anil Kumar Bara, Civil Judge Class-II.	Nagari	Gunderdehi	Balod	Civil Judge Class-I vice Shri Nratyanjay Singh Patel.
7.	Ku. Mohani Kanwar, Civil Judge Class-II.	Pendra-Road	Durg	Durg	II Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-I.
8.	Shri Avinash Tiwari, Civil Judge Class-II.	Dharamjaigarh	Champa	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-I vice Smt. Garima Sharma.
9.	Shri Prashant Kumar Shivhare, Civil Judge Class-II.	Rajim	Kanker	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-I in the vacant Court.
10.	Shri Aditya Joshi, Civil Judge Class-II.	Konta	Bhanupratappur	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-I in the vacant Court.
11.	Smt. Pallavi Tiwari, IV Civil Judge Class-II.	Raipur	Raipur	Raipur	III Civil Judge Class-I Raipur in the vacant Court.
12.	Smt. Urmila Gupta, I Civil Judge Class-II.	Rajnandgaon	Durg	Durg	III Civil Judge Class-I Vice Smt. Shraddha Shukla Sharma.
13.	Shri Balaram Sahu, Civil Judge Class-II.	Takhatpur	Surajpur	Surajpur	II Civil Judge Class-I in the vacant Court.
14.	Shri Dilesh Kumar Yadav, Civil Judge Class-II.	Kartala	Kawardha	Kabirdham (Kawardha)	II Civil Judge Class-I in the vacant Court.
15.	Shri Shailesh Achyut Patwardhan, Civil Judge Class-II.	Pali	Akaltara	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-I vice Shri Harish Kumar Awasthi.
16.	Shri Leeladharsai Yadav, Civil Judge Class-II.	Marwahi	Mungeli	Mungeli	II Civil Judge Class-I in the vacant Court.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17.	Shri Rakesh Kumar Som, Civil Judge Class-II.	Dabhara	Ramanujganj	Balrampur	Civil Judge Class-I, in the vacant Court.
18.	Shri Kamlesh Kumar Jurri, VIII Civil Judge Class-II.	Bilaspur	Rajnandgaon	Rajnandgaon	II Civil Judge Class-I vice Smt. Leena Agrawal.

Bilaspur, the 27th September 2013

No. 489/Confdl./2013/II-3-1/2013.—The following Civil Judges Class-II as mentioned in Column No. (2) of the table below are, hereby, transferred from the place mentioned in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and are posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date they assume charge of their office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Sarv Vijay Agrawal, Civil Judge Class-II, Narayanpur at Jagdalpur.	Jagdalpur	Pamgarh	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II vice Smt. Sarita Das.
2.	Shri Harendra Singh Nag, II Civil Judge Class-II.	Dantewara	Konta	Sukma	Civil Judge Class-II vice Shri Aditya Joshi.
3.	Shri Sameer Kujur, II Civil Judge Class-II.	Mahasamund	Nagari	Dhamtari	Civil Judge Class-II vice Shri Anil Kumar Bara.
4.	Shri Harish Chandra Mishra Civil Judge Class-II.	Jashpur	Dharamjaigarh	Raigarh	Civil Judge Class-II vice Shri Avinash Tiwari.
5.	Shri Umesh Kumar Upadhyay V Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Rajim	Raipur	Civil Judge Class-II vice Shri Prashant Kumar Shivhare.
6.	Shri Gerjesh Pratap Singh, Addl. Judge to the Court of I Civil Judge Class-II.	Mahasamund	Navagarh	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II vice Shri Promod Singh Paraste.
7.	Shri Vivek Garg, II Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Takhtapur	Bilaspur	Civil Judge Class-II vice Shri Balaram Sahu.
8.	Shri Janak Ram Hidko, Civil Judge Class-II, Bijapur at Dantewara.	Dantewara	Kartala	Korba	Civil Judge Class-II vice Shri Dilesh Kumar Yadav.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9.	Shri Ganes Ram Patel, Civil Judge Class-II.	Sitapur	Pali	Korba	Civil Judge Class-II vice Shri Shailesh Achyut Patwardhan.
10.	Shri Janardan Khare, Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II	Jashpur	Marwahi	Bilaspur	Civil Judge Class-II vice Shri Leeladharsai Yadav.
11.	Shri Achhe Lal Kachhi, Addl. Judge to the Court of Civil Judge Class-II, Kanker at Bhanupratappur.	Bhanupratap-pur	Pakhanjur	Uttar Bastar (Kanker)	Civil Judge Class-II vice Shri Jagmohan Shankar Patel.
12.	Shri Tajuddin Asif, Civil Judge Class-II.	Kanker	Dabhra	Janjgir-Champa	Civil Judge Class-II vice Shri Rakesh Kumar Som.
13.	Shri Vinay Kumar Pradhan, XII Civil Judge Class-II	Raipur	Sitapur	Surguja (Ambikapur)	Civil Judge Class-II vice Shri Ganesh Ram Patel.
14.	Shri Jagmohan Shankar Patel, Civil Judge Class-II	Pakhanjur	Rajpur	Balrampur	Civil Judge Class-II in the vacant Court.
15.	Shri Devendra Sahu, I Civil Judge Class-II	Dhamtari	Tilda	Raipur	Civil Judge Class-II vice Shri Krishna Kumar Suryawanshi.
16.	Shri Dheerendra Pratap Singh Dangi, IV Civil Judge Class-II.	Jagdalpur	Pendra-Road	Bilaspur	Civil Judge Class-II vice Ku. Mohani Kanwar.
17.	Shri Krishna Kumar Suryawnashi, Civil Judge Class-II.	Tilda	Balrampur	Balrampur	Civil Judge Class-II in the vacant Court.
18.	Shri Om Prakash Sahu, I Civil Judge Class-II.	Bemetara	Baloda-Bazar	Baloda-Bazar	Civil Judge Class-II vice Shri Jitendra Kumar Thakur.

Bilaspur, the 27th September 2013

No. 494/Confdl./2013/II-2-1/2013.--The following Member of Higher Judicial Service, as specified in column No. (2) of the table below, is hereby transferred from the place mentioned in Column No. (3) and posted on the post of Special Judge of the Special Court established by the State Government under Section 14 of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act, 1989 at the place mentioned in Column No. (4) from the date he assumes charge of his office and;

The following Member of Higher Judicial Service is appointed as Additional Sessions Judge for the Sessions

Division mentioned in Column No. (5) from the date he assumes charge of his office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Sessions Division (5)	Posted as (6)
1.	Shri Vinay Kumar Kashyap, Additional District & Sessions Judge.	Bhanupratappur	Durg	Durg	Special Judge under S.C. & S.T. (P.A.) Act vice Shri Radhakishan Agrawal.

Bilaspur, the 9th October 2013

No. 508/Confdl./2013/II-3-1/2013.—The following Civil Judge Class-I & Judicial Magistrate First Class, as specified in Column No. (2) of the table below is, hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) and is appointed as Civil Judge Class-I-cum-Chief Judicial Magistrate, for the Revenue District mentioned in Column No. (5) in the capacity as mentioned in column No. (6) from the date he assumes charge of his offices :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Shri Rajendra Kumar Verma, I Addtional Judge to the Court of Civil Judge Class-I.	Surajpur	Dantewara	Dakshin Bastar (Dantewara)	Civil Judge Class-I & Chief Judicial Magistrate vice Shri V. K. Chanakya.

Note :— By virtue of this order, the above officer shall not be entitled to the Superior scale-Chief Judicial Magistrate/ Additional Chief Judicial Magistrate-First stage of Assured Career Progression pay scale and his case shall be considered by the High Court as per Rule 3 of the Chhattisgarh Lower Judicial Service (Recruitment and Conditions of Service) Rules, 2006.

Bilaspur, the 9th October 2013

No. 509/Confdl./2013/II-3-1/2013.—The following Senior Civil Judge, as specified in Column No. (2) of the table below, is hereby, transferred from the place shown in Column No. (3) to the place shown in Column No. (4) in the Revenue District mentioned in Column No. (5) and is posted in the capacity as mentioned in Column No. (6) from the date she assumes charge of her office :—

TABLE

S. No. (1)	Name & presently posted as (2)	From (3)	To (4)	Revenue District (5)	Posted as (6)
1.	Smt. Kirti Lakra, IV Civil Judge Class-I.	Bilaspur	Surajpur	Surajpur	I Additional Judge to the Court of Civil Judge Class-I.

Bilaspur, the 9th October 2013

No. 7437/III-6-1/2007.—In exercise of the powers conferred under sub-section (3) of Section 11 read with Section 32 of the Code of Criminal Procedure, 1973 (Act No. 2 of 1974), the High Court of Chhattisgarh hereby confers the powers of Judicial Magistrate First Class upon the following Judicial Magistrate Second Class :—

Sl. No. (1)	Name of the Judicial Magistrate Second Class (2)	Present place of posting (3)	Civil District (4)
1.	Shri Harendra Singh Nag, Judicial Magistrate Second Class, Dantewara.	Konta	Dantewara
2.	Shri Janak Kumar Hidko, Judicial Magistrate Second Class, Bijapur at Dantewara.	Kartala	Korba
3.	Shri Harish Chandra Mishra, Judicial Magistrate Second Class, Jashpur.	Dharamjaigarh	Raigarh
4.	Shri Janardan Khare, Judicial Magistrate Second Class, Jashpur.	Marwahi	Bilaspur

By order of the Hon'ble High Court,
ASHOK KUMAR PANDA, Registrar General.

Bilaspur, the 9th October 2013

No. 01/Vigilance/2013.—WHEREAS a departmental proceeding is being initiated against Shri V. K. Chanakya, I Civil Judge Class-I and Chief Judicial Magistrate, Dakshin Bastart (Dantewara) for his grave misconduct.

AND WHEREAS serious nature of act of misconduct warrants his suspension from service.

Now pursuant to powers conferred on Hon'ble the High Court as Disciplinary Authority under sub-rule (1) of Rule 9 of the Chhattisgarh Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1966, Hon'ble the High Court hereby places Shri V. K. Chanakya, I Civil Judge Class-I and Chief Judicial Magistrate, Dakshin Bastar (Dantewara) under suspension with immediate effect with initiation of departmental proceeding. The Head Quarter of Shri V. K. Chanakya, I Civil Judge Class-I and Chief Judicial Magistrate, Dakshin Bastar (Dantewara) is fixed at Dakshin Bastar (Dantewara) during pendency of the disciplinary proceedings. As regards payment of subsistence allowance, it shall be paid as per rules.

By order of Hon'ble the High Court.
ARVING SINGH CHANDEL, Registrar (Vigilance).